भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1358

सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक)

ईपीएफओ में सदस्यों एवं पेंशनधारकों की संख्या

1358. श्रीमती क्वीन ओझा:

डॉ. भारतीबेन धीरूभाई शियाल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में ईपीएफओ में सक्रिय सदस्यों एवं पेंशनधारकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ईपीएफओ की सुविधओं का डिजिटलीकरण किया जाना प्रस्तावित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा खाताधारकों को डिजिटलीकरण से होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ईपीएफ निकासी के लंबित मामलों की संख्या कितनी है तथा उक्त मामलों के निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत वर्तमान में सक्रिय सदस्यों की संख्या 4.50,60, 972 है। पिछले तीन वेतन माह अर्थात अगस्त, 2019 से अक्टूबर, 2019 तक अंशदान कर रहे सार्वभौम खाता संख्या (यूएएन)] । पेंशनधारकों की संख्या 65,95,575 है।

(ख) और (ग): ईपीएफओ ने सदस्यों के उनके नामांकन, शेष राशि जानने, दावों का निपटान करने और सदस्य द्वारा ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने हेतु सुविधाएं देने के लिए कई पहल की हैं। सदस्यों से अब यह अपेक्षित नहीं है कि वे अपना पैसा निकालने के लिए नियोक्ता से संपर्क करें। वे अपनी शेष राशि की सूचना सदस्य पोर्टल पर जाकर लॉगइन करके प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने नामांकन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। पेंशनधारक और मृतक सदस्यों के लाभार्थी भी सीधे ही अपने दावे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। पेंशनधारक डीजी लॉकर से अपना पेंशन भुगतान आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। जिन कर्मचारियों का नाम नियोक्ता द्वारा दर्ज नहीं किया गया है या जो अपना आधार साझा नहीं करना चाहते हैं वे ईपीएफ मामलों के लिए सीधे ही अपना यूएएन नंबर बना सकते हैं।

(घ): लंबित दावों की संख्या गतिशील होती है जो महीने दर महीने बदलती रहती है। तथापि, 01 अप्रैल, 2019 तक प्राप्त कुल दावों की संख्या में से 99.17 प्रशिशत दावों का निपटान किया गया है। ईपीएफओ ने दावों का तेजी से निपटान करने के लिए ऑनलाइन सुविधाएं शुरू की हैं और 20 दिनों के अंदर दावों का निपटान करने के लिए आदेशित है।

*****